**संख्या-46/2016/559/41-2016-20 यो0/16**

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2016**

**विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-मिर्जापुर, वाराणसी एव जनपद प्रतापगढ की योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-2380(ए)/6-1-1(728)/2015, दिनांक 18-03-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-मिर्जापुर, वाराणसी एव जनपद प्रतापगढ की योजनाओं के लिए कॉलम-3 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम'-4 तथा 5 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

**(धनराशि रू0 हजार में)**

| **क्र0** | **जनपद मिर्जापुर, वाराणसी एवं प्रतापगढ की योजनाएं।** | **कार्यदायी संस्था** | **प्रशासकीय स्वीकृति** | **वित्तीय स्वीकृति** |
|---|---|---|---|---|
| **-1-** | **-2-** | **-3-** | **-4-** | **-5-** |
| 1 | जनपद मिर्जापुर में तहसील चुनार के अनतर्गत अदलपुरा घाट के निकट ग्राम कुसहा में प्राचीन शिव मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य। | सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी। | 8.20 | 8.20 |
| 2 | जनपद वाराणसी में तहसील पिण्डरा के अनतर्गत ग्राम बसंतपुर सिंधौरा में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य। | सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी। | 37.41 | 10.00 |
| 3 | जनपद प्रतापगढ के पर्यटन स्थल घुइसरनाथ धाम में प्रकाश व्यवस्था, सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिंग एवं रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य। | ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ। | 142.30 | 7.78 |

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

**3.** उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

**<u>संख्या-46/2016/559(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/इलाहाबाद/मिर्जापुर ।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी/इलाहाबाद/प्रतापगढ ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- मुख्य अभियन्ता, (सोन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 वाराणसी।
9- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी।
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in